रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

[illegible] गांव धैलपार के खाता सं. 12, ख.नं. 185, 201 किता 2 कुल रकबा 8.7639 है० इसि भूमि राजस्व अभिलेख जमाबंदी सं. 2021-2024 में "लखी पुत्र ज्यानीया हिस्सा 1/4 जाति कायमखानी नि० रतननगर दर्ज है जबकि सही ग्राम "लखीमोहम्मद पुत्र रमजान जाति व्यापारी नि० धैलपार" है, आधार कार्ड, राशन कार्ड पहचानपत्र, जनसूचना एवं सभी कागजातों में लखीमोहम्मद पुत्र रमजान जाति व्यापारी नि० धैलपार दर्ज है लखी व लखीमोहम्मद एक ही व्यक्ति है। अतः खाता नं. 12 में प्रविष्टि में दुरुस्ती अपेक्षित है।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार, चूरू कैम्प- धैलपार

रिपोर्ट भूमि अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के अनुसार प्रार्थी का नाम लखी पुत्र ज्यानीया जाति कायमखानी नि० रतननगर के खाता पर "लखीमोहम्मद पुत्र रमजान जाति व्यापारी नि० धैलपार" दुरुस्त किया जाना उचित है।

पटवारी रत्नपा एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं अभिलेखा के अनुसार।

दिनांक 27.06.25 आदेश

तहसीलदार (मु० अ०) चूरू

तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के अनुसार चूंकि किये जाने के आदेश किये जाते हैं कार्यवाही करावें।

उपखण्ड अधिकारी चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:13:41 IST
Reason: SelfAttested